सं. 1/1(45)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ई)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
(डेस्क-ई)

तीसरा तल, लोक नायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 23 मई, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- दो कुटुंब पेंशन के लिए पात्रता-स्पष्टीकरण के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि एक ही सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के संबंध में दो अलग-अलग स्रोतों से अर्थात सैन्य सेवा और सिविल सेवा की बाबत या स्वायत्त निकाय और सिविल सरकारी विभाग में की गई सेवा की बाबत, कुटुंब पेंशन के लिए परिवार के सदस्य की पात्रता के संबंध में स्पष्टीकरण के लिए इस विभाग में अभ्यावेदन/संदर्भ प्राप्त हुए हैं।

2. पूर्ववर्ती केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 में 27 दिसंबर, 2012 को संशोधन से पूर्व, यदि किसी सैन्य पेंशनभोगी ने अपने द्वारा की गई सैन्य सेवा के लिए कुटुंब पेंशन के विकल्प का चयन किया था, तो उन नियमों के नियम 54 के उप-नियम 13-क के अनुसार पुनर्नियोजित सैन्य पेंशनभोगी को सिविल पक्ष से कुटुंब पेंशन की संस्वीकृति प्रतिबंधित थी। इसी प्रकार, उन नियमों के नियम 54 के उप-नियम 13-ख के अनुसार किसी व्यक्ति को दो कुटुंब पेंशन देने पर रोक थी यदि वह पहले से ही केंद्र या राज्य सरकार के अधीन केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार और/या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय/स्थानीय निधि के किसी अन्य नियम के तहत कुटुंब पेंशन प्राप्त कर रहा था। दिनांक 27 दिसंबर, 2012 (24 सितंबर, 2012 से प्रभावी) की अधिसूचना संख्या 1/33/2012-पी&पीडब्ल्यू (ई) द्वारा उप-नियम 13-क और 13-ख हटा दिए गए थे। इस प्रकार एक ही सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के संबंध में दो अलग-अलग स्रोतों से कुटुंब पेंशन की पात्रता पर प्रतिबंध को उक्त संशोधित अधिसूचना द्वारा हटा दिया गया था। इस स्थिति को इस विभाग के दिनांक 16 जनवरी, 2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/33/2012-पी&पीडब्ल्यू(ई) द्वारा भी स्पष्ट कर दिया गया था।

3. केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 को 20 दिसंबर, 2021 को पूर्ववर्ती केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 की जगह अधिसूचित किया गया है। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 का नियम 50 कुटुंब पेंशन से संबंधित है। इस नियम में एक ही सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के संबंध में दो अलग-अलग स्रोतों से कुटुंब पेंशन की संस्वीकृति पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध का प्रावधान नहीं है।

4. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर पैरा 2 में उल्लिखित मामले में, एक ही सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के संबंध में परिवार के किसी सदस्य को दो अलग-अलग स्रोतों से कुटुंब पेंशन देने पर केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 में कोई प्रतिबंध नहीं है।

5. तथापि, दो अलग-अलग सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी की मृत्यु के परिणामस्वरूप परिवार के एक सदस्य को दो कुटुंब पेंशन की पात्रता केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के उप-नियम 12 (क) और उप-नियम 13 में प्रतिबंध के अध्यधीन बनी रहेगी।

(संजय शंकर)
भारत सरकार के उप सचिव

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का कार्यालय
3. लेखा महानियंत्रक का कार्यालय, लोक नायक भवन, नई दिल्ली
4. एनआईसी को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।